



## **MINOR FOREST PRODUCE PROCESSING & RESEARCH CENTRE (MFP-PARC)**



(An ISO 9001:2015, EMS 14001:2015 & GMP Certified Unit)

Van Parisar, Barkheda Pathani, Bhopal - 462022, Madhya Pradesh

Unit of MP State MFP Co-operative Federation Ltd. Bhopal,

An undertaking of Govt. of M.P. Co-operative

Tel. : (0755) 2970629, 2417670, Fax : (0755) 2970629

Visit at [www.vindhyaherbals.com](http://www.vindhyaherbals.com), E-mail : [mfp parc@gmail.com](mailto:mfp parc@gmail.com)

Notification No./MFP-PARC/CEO/2021/1458

Date 08.10.2021

### **RECRUITMENT FOR POST OF AYURVED ASSISTANT & PHARMACOLOGY SPECIALIST**

The Minor Forest Produce Processing & Research Centre (MFP-PARC), Barkheda Pathani, Bhopal is a unit of MP State MFP Co-operative Federation Ltd. Bhopal, a Govt. of M.P. Co-operative undertaking, engaged in manufacturing and supply of Ayurvedic Medicines & Herbal Products under the brand name of "Vindhya Herbals", invites applications for **Post of Ayurved Assistant (one post) & Pharmacology Specialist (one post) on Contract Basis.**

The application form can be downloaded from our website: [www.vindhyaherbals.com](http://www.vindhyaherbals.com) from 11.10.2021 and submitted to **Office of the Chief Executive Officer, Minor Forest Produce Processing & Research Centre (MFP-PARC), Van Parisar, Barkheda Pathani, Bhopal (MP)-462022** (Tel-0755-2970629/2417670) on or before 25.10.2021, 5.00 PM and the application form must accompany a demand draft of Rs. 1,000/- (Rupees One Thousand Only) drawn in favour of "**CEO, MFP-PARC, Bhopal**" payable at Bhopal.

M.P. Madhyam/102230/2021 **CHIEF EXECUTIVE OFFICER**

# MINOR FOREST PRODUCE PROCESSING & RESEARCH CENTRE (MFP-PARC)

Van Parisar, Barkheda Pathani, Bhopal - 462021, Madhya Pradesh

Tel: (0755) 2970629, 2417670, Fax : (0755) 2970629, E-mail : mfpparc@gmail.com

## Application Form

### for Appointment on Contract basis post of Ayurved Assistant & Pharmacology Specialist

**1.Name of the Applicant** :.....  
(in Block Letters)  
**2.Father's Name** :.....  
(in Block Letters)  
**3.Permanent Address** :.....  
.....  
.....

Affix recent  
passport size  
Photograph

**4.Correspondence Address/** :.....  
**5.Present Address** :.....  
.....  
.....

**6.Nationality** :.....

**7.Name of State to which** :.....  
**you belong**

**8.Date of Birth** :..... **9. Gender :** (Male/Female) .....

**10.Telephone/Mobile** :.....

### **11.Educational Qualifications (Highest First) :** (Documents enclosed)

Qualification	University/Institute	Year of Passing	Percentage	Specialization / Major Subjects

### **12.Experience (Latest First) :** (Documents enclosed)

Name of Organization	Designation	Nature of Duties	Period		Emoluments (Last 3 months)
			From	To	

### **13.Application Fees Details :** (Original DD enclosed)

DD Number	Name of Bank and Branch	Date of Issue	Amount

**Declaration:** I hereby declare that all statements made in the application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found untrue/ false/ incorrect or I do not satisfy the eligibility criteria, my candidature/ appointment will be cancelled/ terminated, without assigning any reasons thereof. I have read the contents of the advertisement and agree to abide by the rules, regulations and procedures for appointment to the post applied for.

Date :.....

Place :.....

(Signature of Applicant)

लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र, बरखेड़ा पठानी, भोपाल में आयुर्वेद औषधियों के निर्माण में सहयोग हेतु आयुर्वेद सहायक एवं फार्माकोलॉजी विशेषज्ञ के पद पर संविदा नियुक्ति की प्रक्रिया एवं शर्तें निम्नलिखित हैं:-

(i) शैक्षणिक अर्हता:-

आयुर्वेद सहायक हेतु	फार्माकोलॉजी विशेषज्ञ हेतु
जीव विज्ञान से 10+2 तथा आयुर्वेद में डिप्लोमा (डी.फार्मा) अथवा आयुर्वेद कम्पाउंडर का डिप्लोमा।	आयुर्वेद/फार्मसी में स्नातक उपाधि (बी.ए.एस. एस/बी.फार्मा)

(ii) नियुक्ति एवं चयन की प्रक्रिया:- उपर्युक्त अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों का चयन प्रबंध संचालक लघु वनोपज संघ द्वारा गठित समिति के द्वारा संबंधित पद हेतु प्राप्त आवेदनों की जांच पडताल उपरांत सीधे साक्षात्कार के माध्यम से किया जावेगा।

(iii) मानदेय:-

आयुर्वेद सहायक हेतु	फार्माकोलॉजी विशेषज्ञ हेतु
रु. 14,025 / - (रु. चौदह हजार पच्चीस मात्र प्रतिमाह)	रु. 28,050 / - (रु. अट्ठाईस हजार पचास मात्र प्रतिमाह)

(iv) अन्य सुविधाएं:- लघु वनोपज संघ में संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों के समान समस्त सुविधाओं की पात्रता होगी। राज्य शासन के तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के समान शासकीय प्रवास अवधि में ठहरने व यात्रा व्यय की पात्रता होगी।

(v) कार्य का स्वरूप:- निम्नलिखित मुख्य कार्यों का संपादन एवं समन्वय करना होगा:-

आयुर्वेद सहायक हेतु	फार्माकोलॉजी विशेषज्ञ हेतु
1. आयुर्वेद चिकित्सक/विशेषज्ञों के कार्यों में सहयोगी की भूमिका	1. औषधि तकनीकी सूत्रीकरण/घटक निर्धारण कार्य
2. आयुर्वेदिक मेन्युफेक्चरिंग (औषधि निर्माण) कार्यों में सहयोग	2. आयुर्वेदिक मेन्युफेक्चरिंग (औषधि निर्माण) कार्यों का निर्धारण
3. गुणवत्ता नियंत्रण में सहयोग	3. गुणवत्ता नियंत्रण में प्रक्रियात्मक कार्य निर्धारण
4. भ्रमण/प्रशिक्षण कार्यों में सहयोग	4. भ्रमण/प्रशिक्षण कार्यों में सहयोग
5. औषधि निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण संबंधी दस्तावेजों/पंजियों का संधारण	5. औषधि निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण संबंधी दस्तावेजों/पंजियों का संधारण
6. सौंपे गये अन्य कार्य	6. उत्पाद इत्यादि के सौंपे गये अन्य कार्य

(vi) कार्यानुभव:- संबंधित क्षेत्र में तीन वर्षों का कार्य अनुभव।

(vii) आयु सीमा:- संविदा पद पर भर्ती हेतु म.प्र.शासन द्वारा निर्धारित आयु सीमा अनुसार रहेगी।

(viii) संविदा नियुक्ति की कालावधि:- अधिकतम दो वर्ष, पूर्णतः अस्थायी। दो वर्ष के पूर्व किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर सेवा समाप्त की जा सकेगी।

- (ix) **संविदा अवधि में वृद्धि:**— उक्त पदों पर नियुक्त कर्मचारी की संविदा सेवा अवधि में वृद्धि लघु वनोपज संघ के कार्यों की आवश्यकता तथा लघु वनोपज संघ की बढ़ती हुई गतिविधियों एवं जिम्मेदारियों के परिप्रेक्ष्य में की जायेगी।
- (x) संविदा सेवक के संविदा अनुबंध का नवीनीकरण एक बार में एक वर्ष के लिये होगा तथा उनके द्वारा किये गये कार्यों के आंकलन के आधार पर होगा। संविदा कर्मियों के लिये Performance Appraisal Report (PAR) लिखा जायेगा तथा संविदा सेवक को 8 या 8 से अधिक के अंक प्राप्त होते हैं तथा प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा अवधि वृद्धि की अनुशंसा की जाती है, तो अवधि वृद्धि की जा सकेगी।
- (xi) प्रबंध संचालक, लघु वनोपज संघ द्वारा आवागमन/चिकित्सा लाभ हेतु एकमुश्त राशि स्वीकृत की जा सकेगी तथा इन्हें कर्मचारी भविष्य निधि की पात्रता होगी। अन्य किसी प्रकार के भत्ते, महंगाई भत्ता, पेंशन, गृह भाड़ा की पात्रता नहीं होगी।
- (xii) संविदाकर्मियों के वार्षिक वेतन में वृद्धि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित द्वारा आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं म.प्र. से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत की जावेगी।
- (xiii) संविदा सेवक की आवश्यकता नहीं होने पर एक माह का नोटिस देकर या एक माह के वेतन देकर कार्य से पृथक किया जा सकेगा।
- (xiv) अनुशासनहीनता के फलस्वरूप संविदाकर्मियों की सेवायें समाप्त भी की जा सकेगी।
- (xv) वर्ष में 13 दिवस का आकस्मिक अवकाश एवं 03 दिवस के ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। महिला संविदा सेवक को 180 दिवस का मातृत्व अवकाश एवं पुरुष संविदा सेवक को 15 दिवस के पितृत्व अवकाश की पात्रता होगी।
- (xvi) संविदा पर नियुक्त सेवक का स्थायी किये जाने का दावा मान्य नहीं होगा तथा उनकी पदस्थिति अहस्तांतरणीय होगी तथा स्थानांतरण की पात्रता नहीं होगी।
- (xvii) संविदा कर्मियों के अनुबंध नवीनीकरण करते समय उनके कार्यों एवं जिम्मेदारियों का स्पष्ट उल्लेख अनुबंध में किया जायेगा।
- (xviii) संविदा की अन्य शर्तें तथा सुविधायें संचालक मंडल की 118वीं बैठक दिनांक 28/8/2018 के विषय क्रमांक 118:05 पर संविदा भर्ती नियमों के संबंध में पारित संकल्प का आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं म.प्र. से अनुमोदन अनुसार होगी।